

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4
संख्या—१७५/XXIV-4/2011-1(3)/2010
देहरादून: दिनांक ०। अप्रैल, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्यालयी परिषद् विनियम, 2009 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियम बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (संशोधन) विनियम, 2011

- संक्षिप्त नाम 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (संशोधन) विनियम, 2011 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।
- विनियम 1 का 2. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009, जिन्हें यहाँ आगे मूल विनियम कहा गया है, के स्तम्भ-1 में दिए गए वर्तमान अध्याय-दो के विनियम 1 के उपविनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-
(3) संस्था प्रधानों को छोड़कर समूह-ग के सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता पदों पर सीधी भर्ती हेतु (अल्संब्यक संस्थाओं को छोड़कर) वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो तथा अभ्यर्थी के लिए उत्तराखण्ड राज्य की परम्पराओं एवं रीतियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिये उपयुक्त होना बांधनीय होगा:

परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में नियमित रूप से कार्यरत शिक्षकों, यदि वे सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु आवेदन करते हैं, तो उनके लिये सेवायोजन कार्यालय का पंजीकरण आवश्यक नहीं होगा”

....2

व्यावृत्ति

3. उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 24 के अधीन बनाए गए उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009 एतद्वारा धारा 18 के अधीन बनाए गए विनियम समझे जायेंगे।

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या—175 (1) / XXIV-4 / 2011, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मुख्यमंत्री को माठ मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री को माठ शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड महोदय के अवलोकनार्थ।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक/सभापति, विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमायू मण्डल।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की, हरिद्वार को इस आशय से कि अधिसूचना की 300 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।
- 13.

(उषा शुक्ला)
अपर सचिव।